(8-ii)

गो0ब0पन्त कृषि एंव प्रौ0 वि0वि0 पन्तनगर
पेड़ो की विक्री हेतु निविदा सूचना

गो0ब0पन्त कृषि एंव प्रौ0 वि0वि0 पन्तनगर की समन्वित कृषि प्रणाली परियोजना, फसल अनुसंधान केन्द्र पन्तनगर पर उपलब्ध 84 पॉपुलर एंव 82 यूकेलिप्टिस प्रजाती के वृक्षो की विक्री हेतु दिनॉक **05.08.2019 सायः 5:00 बजे** तक ठेकेदार/अधिकृत फर्मो से बन्द लिफाफे में निविदाये आमंत्रित की जाती है।

उपरोक्त का पूर्ण विवरण एंव विक्री/निविदा की शर्तो हेतु उपरोक्त कार्यालय में दिनॉक **29.07.2019 प्रातः 10:00 बजे से** दिनॉक **05.08.2019 प्रातः 11:00 बजे** तक किसी भी कार्य दिवस में रू0 2000.00+जी0एस0टी0 12 प्रतिशत (240.00)=रू0 2240.00 प्रति निविदा (अदेय) के भुगतान दर पर प्राप्त किया जा सकता है।

परियोजना समन्वयक, समन्वित कृषि प्रणाली परियोजना

गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पन्तनगर
जिला–ऊधम सिंह नगर (उत्तराखण्ड)

समन्वित कृषि प्रणाली परियोजना ना0ई0बो0 फसल अनुसंधान केन्द्र पन्तनगर पर उपलब्ध यूकेलिप्टिस एवं पॉपलर के पेड़ों का विक्रय :–

निविदा– प्रपत्र

निविदा संख्या–ए0आई0सी0आर0पी0–आई0एफ0एस0

निविदा मूल्य– रू0 2000.00+जी0एस0टी0 12 प्रतिशत (240.00)=रू0 2240.00 प्रति निविदा (नॉन रिफण्डेबल)

निविदा प्रपत्र प्राप्त करने की तिथि व समय	29.07.2019 प्रातः 10:00 बजे से 05.08.2019 प्रातः 11:00 बजे तक
निविदा प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि व समय	05.08.2019 सायः 5:00 बजे तक
निविदा प्रपत्र खोलने की तिथि स्थान व समय	06.08.2019 सायः 03 बजे तक आई0एफ0एस0 ना0ई0बो0 फसल अनुसंधान केन्द्र पन्तनगर
परिक्षेत्र का नाम	आई0एफ0एस0 ना0ई0बो0 फसल अनुसंधान केन्द्र पन्तनगर

समन्वित कृषि प्रणाली परियोजना ना0ई0बो0 फसल अनुसंधान केन्द्र पन्तनगर पर उपलब्ध वृक्षों का विवरण निम्नवत है:

क0सं0	लाट संख्या	वृक्ष प्रजाति एंव संख्या	निविदादाता द्वारा प्रस्तुत दर अंकों में	निविदादाता द्वारा प्रस्तुत दर शब्दों में
1.	1.	पॉपुलर के 84 परिपक्व वृक्ष		
	2.	यूकेलिप्टिस 82 परिपक्व वृक्ष		

मैंने निविदा शर्तो का भलीभांति अध्ययन कर लिया है, तथा प्रक्षेत्र पर जाकर वृक्षो का निरीक्षण कर लिया है। मुझे शर्ते मान्य है। धरोहर राशि (अर्नेस्ट मनी) का बैंक ड्राफ्ट संख्या ....दिनॉक ....जो कि.....................................की पन्तनगर शाखा में देय है एंव निविदा प्रपत्र शुल्क के रूप में बैंक ड्राफ्ट सं0...........दिनॉक ....रू0.....................................जो धरोहर राशि का ड्राफ्ट नियन्त्रक गो0ब0पंत एंव कृषि एंव प्रौ0वि0वि0 पन्तनगर के पक्ष में देय होगा इस प्रपत्र के साथ संलग्न है।

निविदादाता के हस्ताक्षर

निविदादाता का नाम

निविदादाता के पिता का नाम

फोन नं0

पता– ग्राम......................................पोस्ट......................................

थाना..तहसील...............................

जनपद..(..)

R. Singh

निविदा जारी करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर

PI
AICRP-IFS

निविदादाता के हस्ताक्षर

(II- i)

अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना समन्वित कृषि प्रणाली ना0ई0बो0 फसल अनुसंधान केन्द्र पन्तनगर
पोस्ट–पन्तनगर
जिला–ऊधम सिंह नगर, पिन–263146

वृक्षों की बिक्री की शर्तें एवं प्रतिबन्ध

1. निविदादाता को निविदा प्रपत्र एवं उसके साथ संलग्न नियम व शर्तों के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर निविदा के साथ अनिवार्य रूप से जमा करना होगा।
2. बन्द निविदायें साधारण डाक, पंजीकृत डाक एवं परियोजना स्थल में रखी गई निविदा पेटी में भी व्यक्तिगत रूप से डाली जा सकती हैं। निविदा पेटी में दिनांक .... को अपरान्ह 1.00 बजे तक डाली जा सकती हैं। डाक में होने वाले बिलम्ब के लिए परियोजना उत्तरदायी नहीं होगी। प्राप्त निविदायें दिनांक .... को अपरान्ह 3.00 बजे निविदा समिति द्वारा परियोजना स्थल आई0एफ0एस0 ना0ई0बो0 फसल अनुसंधान केन्द्र पर खोली जायेंगी। इच्छुक निविदादाता स्वयं अथवा उसका एक अधिकृत प्रतिनिधि निविदा खुलने के समय उपस्थित हो सकता हैं।
3. निविदादाता को निविदा प्रपत्र के साथ उपरोक्त कुल धनराशि का 10 प्रतिशत् धनराशि की दर से धरोहर राशि (वापसी योग्य) बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक (जो कि वित नियन्त्रंक गो0ब0पन्त कृषि एंव प्रौधोगिकी विश्वविधालय पन्तनगर के नाम भारतीय स्टेट बैंक, पन्तनगर पर देय हो) के माध्यम से संलग्न करना अनिवार्य होगा। बिना धरोहर राशि के कोई भी निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
4. स्वीकृत निविदा दरों की 70 प्रतिशत धनराशि पत्र निर्गत होने के 15 दिनों के भीतर अग्रिम भुगतान के रूप में नकद अथवा बैंक ड्राफ्ट के द्वारा जमा करनी होगी। शेष धनराशि 30 प्रतिशत माल की निकासी करने से पूर्व जमा करनी होगी, अन्यथा माल की निकासी की अनुमति नहीं दी जायेगी।
5. सफल क्रेता को निविदा स्वीकृत होने के 15 दिन में अपने खर्च पर 100.00 के नॉनजुडिशियल स्टाम्प पेपर पर विश्वविद्यालय के साथ लिखित अनुबन्ध करना अनिवार्य होगा।
6. वृक्षो के विक्रय मूल्य पर निर्धारित जी0एस0टी0, आयकर, स्टाम्प शुल्क, मण्डी शुल्क इत्यादि क्रेता को स्वयं अलग से सम्बन्धित विभागों में पूर्ण दर पर जमा करना होगा, तथा उक्त जमा शुल्क के चालान/रसीद समन्वित कृषि प्रणाली परियोजना ना0ई0बो0 फसल अनुसंधान केन्द्र में मूल रूप से जमा करनी होगी। यदि क्रेता के द्वारा उक्त शुल्कों को कम या अधिक जमा किया जाता है अथवा विलम्ब से जमा किया जाता है तो इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व क्रेता का होगा तथा उक्त शुल्कों के जमा होने के पश्चात् माल निकासी दी जायेगी।
7. वृक्ष जैसा है जहाँ है, के आधार पर लेना होगा तथा वृक्षो की गुणवत्ता का कोई उत्तरदायित्व परियोजना का नहीं होगा। अतः निविदादाता निविदा देने से पूर्व मौके पर वृक्षो का भली-भाँति निरीक्षण स्वयं कर लें। निविदा स्वीकृत हो जाने के उपरान्त वृक्षो में किसी भी प्रकार का दोष पाये जाने की कोई शिकायत मान्य नहीं होगी।
8. विश्वविद्यालय/परियोजना के नियमित कर्मचारियों/अधिकारी अपने परिवार, सदस्य जैसे पत्नी, बेटा, बेटी अथवा बहू के नाम से कोई भी निविदा डालने के पात्र नहीं होंगे।

क्रमशः 2

 (11-ii)

9 वृक्षो की निकासी से पूर्व क्रेता को प्रभागीय वनाधिकारी तराई केन्द्रीय वन प्रभाव, हल्द्वानी से निकासी परमिट स्वयं लेना होगा तथा ट्रांजिट शुल्क या अन्य कोई देय शुल्क आदि की धनराशि क्रेता को स्वयं जमा करनी होगी।

10 क्रेता तथा उसके आदमियों द्वारा कार्य प्रारम्भ करने की तिथि से अन्तिम अवधि तक विश्वविद्यालय तथा केन्द्र की किसी सम्पत्ति का नुकसान पहुँचाने/असामाजिक कार्य करने एवं अन्य किसी भी प्रकार की गतिविधि में संलिप्त पाये जाने की दशा में सम्पूर्ण क्षतिपूर्ति की जिम्मेदारी क्रेता की होगी।

11 किसी भी निविदा अथवा सभी निविदाओं को बिना कारण बताये अस्वीकृत अथवा निरस्त करने का पूर्ण अधिकार निविदा समिति में निहित है।

12 क्रेताओं द्वारा उपरोक्त शर्तों में से किसी भी एक शर्त का पालन न करने की दशा में वृक्षों की बिक्री रद्द की जा सकती है, तथा धरोहर/Performance-Gaurantee हेतु जमा धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

13 इस विक्रय के लिए अनुबन्ध के सम्बन्ध में किसी भी विवाद पर निर्णय के लिए कुलपति गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पंतनगर सोल आर्विट्रेटर होंगे और उनका निर्णय अन्तिम होगा, जो दोनों पक्षों को मान्य होगा।

14 निविदा स्वीकृति पत्र निर्गत होने की तिथि से एक माह के भीतर वृक्षों का कटान कर भूमि को समतल करना आवश्यक होगा। अन्यथा प्रतिदिन की दर से रू0 100.00 विलम्ब शुल्क का भुगतान करना होगा। विलम्ब शुल्क (एक माह तक) के पश्चात् ठेका निरस्त कर धरोहर धनराशि जब्त किये जाने का अधिकार विश्वविद्यालय को होगा।

15 वृक्षों की कटाई एवं माल निकासी वन विभाग द्वारा निकासी खुलने के 15 दिन भीतर पूर्ण करनी होगी। वृक्षों का कटान क्रमवार करना होगा। विद्युत लाइनों, आवासो एवं भवनों के निकट स्थित बाधायुक्त वृक्षों के कटान में स्थिति के अनुसार विभागीय सहयोग प्राप्त किया जा सकता है।

16 प्रत्येक काटे जाने वाले वृक्षों के जड के पास 15X15 सेमी0 का (+) का निशान लगा दिया जायेगा। उक्त प्रकार से चिन्हित धन (+) के वृक्ष ही क्रेता द्वारा काटे जायेंगे तथा वृक्षों की जड़ों का खुदान भी करना अनिवार्य होगा।

17 निविदा की स्वीकृति के उपरान्त क्रेता को वृक्षों तथा कटी हुई लकड़ी की देखभाल की व्यवस्था स्वंय करनी होगी।

18 प्रभागीय वनाधिकारी, तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, हल्द्वानी के आदेशानुसार क्रेता से एक वृक्ष के स्थान पर दो वृक्षों के वृक्षारोपण (छूट प्रजाति को छोड़कर) रू0 100.00 प्रति वृक्ष के आधार पर प्रभागीय वनाधिकारी तराई केन्द्रीय के नाम निरूपित (राष्ट्रीय बचत पत्र) उक्त कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा तथा इसकी सूचना लिखित रूप से साक्ष्य के साथ केन्द्र को देनी होगी।

19 क्रेता के कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व अपना तथा अपने कर्मचारीयों का परिचय–पत्र सुरक्षा अधिकारी कार्यालय से बनवाना होगा। ठेकेदार के किसी भी कर्मचारी को परिसर/फार्म में अवांछित गतिविधि में संलग्न होने के संशय पर परिसर में प्रवेश निषिद्ध कर दिया जायेगा।

20 निविदादाता को निविदा के साथ पेन कार्ड/आधार कार्ड की छाया प्रति संलग्न करनी आवश्यक है।

R. Singh

निविदा जारी करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर

PI
AICRP-IFS

निविदादाता के हस्ताक्षर